

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 27 / 2021

नंदकिशोर पुत्र भगवती प्रसाद कुम्हार, निवासी बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम नन्दकिशोर अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 87 / 2020 निर्णय दिनांक 22.02.2021

उपस्थिति:-

- 1 श्री सुमित कुमार, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 29.10.2021

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.02.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नन्दकिशोर मु0नं0 87 / 2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने दिनांक 01.10.2020 को पटवार हल्का बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया। जिसमें अपीलान्ट को खसरा नम्बर 815 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह भूमि में 0.02 हैक्टर में अतिक्रमी माना। जिसका दिनांक 11.11.2020 को अपीलान्ट ने जबाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.02.2021 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये।

5/11/21
अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू



अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि अपने दादा व पिता से प्राप्त हुई है। जिस पर अपीलान्ट का करीब 30 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि पर उनका विधिक कब्जा है। जिसमें पानी व बिजली का कनेक्शन है। हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में मकान बनाकर काबिज होना बताया है जिससे जाहिर है कि विवादग्रस्त जमीन अपीलांट का पुराना कब्जा है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि—अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने दिनांक 01.10.2020 को पटवार हल्का बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया। जिसमें अपीलान्ट को खसरा नम्बर 815 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह भूमि में 0.02 हैक्टर में अतिक्रमी माना। जिसका दिनांक 11.11.2020 को अपीलान्ट ने जबाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.02.2021 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये।

अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि अपने दादा व पिता से प्राप्त हुई है। जिस पर अपीलान्ट का करीब 30 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि पर उनका विधिक कब्जा है। जिसमें पानी व बिजली का कनेक्शन है। हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में मकान बनाकर काबिज होना बताया है जिससे जाहिर है कि विवादग्रस्त जमीन अपीलांट का पुराना कब्जा है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से

1-1
अधीनस्थ न्यायालय
हल्का

खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 815 कुल रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह के रकबा 0.02 हैक्टर पर मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांत को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा प्रकरण में अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैध साबित होता हो। अतिक्रमित भूमि गै0मु0 चारागाह होने से नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 उनवानी सरकार बनाम नन्दकिशोर मु0नं0 87/2020 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जे0 पी0 गौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू